# कार्यालय उप वन संरक्षक, धौलपुर

## तथ्यात्मक प्रतिवेदन

विषय– बिना अनुमति वनखण्ड रीझोनी के वन क्षेत्र सरमथूरा झिरी रोड़ कि.मी. 9/0 से मल्लापुरा गांव तक (1.08 हेक्टेयर) अवैध सडक निर्माण बाबत।

अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाडी, जिला– धौलपुर द्वारा जिले /वन मंडल में "Construction of Road from Sirmathura-Jhiri Road Km. 9/0 to Mallapura Village, District-Dholpur (Rajasthan)" Under RRSMP-II Scheme, Funded by World Bank के निर्माण कार्य हेतु 1.08 है0 (1200 मी. लम्बाई एंव 9.0 चौडाई) वन क्षेत्र के अनारक्षण के लिए ऑनलाईन प्रस्ताव पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कें वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं FP/RJ/ROAD/15972/2015 पर दिनांक 10.10.2015 को रजिस्टर किया गया है। प्रस्ताव में यूजर ऐजेन्सी द्वारा दिनांक 16.10.2016 ... को बिना सक्षम स्वीकृति सउक का निर्माण कर लिया गया। जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानो का उलंघन है। प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.1.2018 के बिन्दु संख्या 3 बी के अनुसार कार्यवाही की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(1) प्रकरण में परिपत्र दिनांक 29.1.2018 के बिन्दु संख्या 1 एवं 2 के अनुसार दण्डात्मक राशि 405648/– बनता है जो संलग्न प्रेषित है। प्रयोक्ता अभिकरण का दण्डात्मक राशि जमा कराने की वचनवद्वता संलग्न है।

(2) प्रकरण में दिनांक 16.10.2016 को वनपाल मदनपुर द्वारा निरीक्षण किये जाने पर कार्यालय को अवगत कराया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सडक निर्माण कर लिया गया है इस पर वन मण्डल धौलपुर अधीन रेंज सरमथुरा के वनखण्ड मदनपुर कें वन क्षेत्र सरमथूरा झिरी रोड़ कि.मी. 9/0 से मल्लापुरा गॉव तक अवैध सडक निर्माण संबंधी प्रकरण के कम में वनपाल नाका सदर रेंज समरथपुरा द्वारा यूजर एजेन्सी अधिशषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 खण्ड बाडी एंव ठेकेदार श्री शैलेन्दसिंह पुत्र श्री कोमलसिंह जाति जाट ग्राम निवासी करीलपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय एफ.आई.आर. सं0 2649/18 दिनांक 17.10.2016 प्रति संलग्न है जारी कर संबंधित को जरिए नोटिस कमांक 3–6 दिनांक 22.10.2016 जारी कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के संबध में नियमानुसार विधिक् कार्यवाही से पूर्व स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने हेतु लिखा गया (प्रति) संलग्न है।

उक्त कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त होने पर पदस्थापित रहे क्षेत्रीय वन अधिकारी समरथपुरा व हलका वनपाल मदनपुर एवं बीट गार्ड मदनपुर को जरिए ज्ञापन कमांक 7443–43 दिनांक 28.07.2017 से सी.सी.ए नियम 17 के तहत् आरोप– प्रत्रादि जारी किए जाकर संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए। लोकसेवकों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरणो, जॉच अधिकारी सहायक वन संरक्षक, धौलपुर से प्राप्त वस्तुस्थिति रिपोर्ट तथा संबंधित क्षेत्र की मानवीय व भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर आरोपित लोकसेवको को "भविष्य में स्टॉफ व उच्च अधिकारियों से पूर्ण समन्वय स्थापित कर, विभागीय कार्यो की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए कर्तव्य निर्वहन हेतु सचेत किया गया।

3. प्रकरण में प्रयोकता अभिकरण के खिलाफ राजस्थान वन अधिनियम के अंर्तगत मुकदमा दर्ज किया जाकर एफ. आई.आर सं0 2649/18 दिनांक 17.10.2016 जारी की गई चूंकि प्रकरण जनहित से जुडा होने के कारण जारी एफ0आइ0आर0 के कम में राशि रू0 51000/– यूजर एजेन्सी से वसूल की जाकर राजकोष में जमा करायी गई।

Scanned by CamScanner